रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112026-278037
CG-DL-E-19112026-278037

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6019] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2026/कार्तिक 26, 1948
No. 6019] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2026/KARTIKA 26, 1948

सहकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2026

का.आ. 6259(अ).—पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का प्रयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और बाधारहित रीति में सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाएँ को प्राप्त करने में समर्थ बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरलीकृत बनाने तथा पारदर्शिता और दक्षता का संवर्धन करता है;

और, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) से परामर्श के पश्चात् अपने पत्र संख्या 13(9)/2023-EG-II, दिनांक 29 अक्टूबर, 2026 के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अभिकरण कहा गया है) को सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार और ज्ञान) के लिए आधार अधिप्रमाणन नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन का कार्य करने और आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए अधिप्रमाणन के दौरान आधार संख्या का प्रयोग करने और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 5 के अधीन उसे अधिसूचित करने हेतु अनुज्ञात करने के लिए प्राधिकृत किया है;

और, उक्त नियम के नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सुशासन सुनिश्चित करने, निवासियों के जीवन को सुगम बनाने तथा उन्हें सेवाओं तक बेहतर पहुँच उपलब्ध कराने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रयोग, के लिए आधार अधिप्रमाणन किया जाएगा और उक्त अभिकरण, निम्नलिखित प्रयोजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रयोजन कहा गया है) के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली के अधीन कार्मिक डेटाबेस तैयार करने के लिए एकमुश्त पंजीकरण के दौरान कर्मचारियों और आउटसोर्स किए गए कार्मिकों की पहचान स्थापित करना;

(ख) आगंतुकों के पंजीकरण और आगंतुक पहचान-पत्र जारी करने के समय उनकी पहचान स्थापित करना; और

(ग) हाँ/नहीं अथवा ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधाओं का उपयोग करते हुए प्रतिरूपण और दोहराव को रोकने तथा सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक प्रयोजनों हेतु एनयूसीएफडीसी के कर्मचारियों की पहचान स्थापित करना।

अतः, अब सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पठित उक्त नियम के नियम 5 के अनुसरण में, एतद्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्: -

1. (1) उक्त अभिकरण अधिनियम में यथा-उपबंधित, अधिप्रमाणन के प्रयोजन से आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियम के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर है, उक्त अभिकरण आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य तरीकों के बारे में सूचित करेगा और आधार संख्या धारक द्वारा को आधार अधिप्रमाणन से मना करने, या उसके असमर्थ होने पर किसी सेवा से इनकार नहीं करेगा, अर्थात्: —

(क) स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड

(ख) मतदाता पहचान पत्र

(ग) फोटोयुक्त बैंक या डाकघर की पासबुक;

(घ) राशन कार्ड;

(ङ) पासपोर्ट;

(च) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

(छ) अधिवास प्रमाण-पत्र

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 20-20011/27/2024-MoC (120821)]

रमण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COOPERATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2026

S.O. 6259(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had authorised *vide* its letter number 13(9)/2023-EG-II dated the 29th October, 2026, the Ministry of Cooperation, Government of India, to allow the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited (NUCFDC) (hereinafter referred to as the said Agency) for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good

Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules), to perform Aadhaar authentication and to use Aadhaar number during authentication for establishing the identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the Act);

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for usage of digital platforms to ensure good governance, promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them (hereinafter referred to as the said purpose) as specified under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and for performing Aadhaar authentication on a voluntary basis for the following purposes, namely:—

a) to establish the identity of employees and outsourced personnel during one-time registration for creation of a personnel database under the attendance management system;

b) to establish the identity of visitors at the time of registration and issuance of visitor cards; and

c) to establish the identity of NUCFDC officials for administrative purposes, to prevent impersonation and duplication, and to ensure accuracy and integrity, using Yes/No or/and eKYC authentication facilities.

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Act, the Ministry of Cooperation hereby notifies the following, namely: -

1. (1) The said Agency, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

(2) As per sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis, the said Agency shall inform the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely:-

a) Permanent Account Number (PAN) Card;

b) Voter Identity Card;

c) Bank or Post Office Passbook with Photo;

d) Ration Card;

e) Passport;

f) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988;

g) Domicile Certificate

2. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 20-20011/27/2024-MoC (120821)]

RAMAN KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.19 13:40:35 +05'30'